

>

Title: Introduction of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new section 29AA).

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री गोपाल शेटी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

16.31 ½ hrs